ऑनलाइन एनओसी एण्ड अफिलिएशन सिस्टम ONLINE NOC & AFFILIATION SYSTEM

DR. RAM MANOHAR LOHIA AWADH UNIVERSITY, FAIZABAD

FAIZABAD-224001

सन्दर्भ संख्या:AWADHUUNI/संब/ 2198 /2021 **दिनांक:24/08/2021**

स्थायी सम्बद्धता-आदेश

उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम सख्या 14 सन् 2014) की धारा-37(2) के अन्तर्गत उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की अनुमति (दिनांक: 24/08/2021) से GAYADEI MAHILA MAHAVIDYALAYA, DURGAPUR ROAD, BAGHWARIA KATRA को UG स्तर पर

	Course Name	Subject Name
1	BACHELOR OF ARTS (2021-2022)	ANCIENT INDIAN HISTORY
2	BACHELOR OF ARTS (2021-2022)	EDUCATION
3	BACHELOR OF ARTS (2021-2022)	ENGLISH LITERATURE
4	BACHELOR OF ARTS (2021-2022)	HOME SCIENCE
5	BACHELOR OF ARTS (2021-2022)	HINDI LITERATURE
6	BACHELOR OF ARTS (2021-2022)	SANSKRIT
7	BACHELOR OF ARTS (2021-2022)	SOCIOLOGY
8	BACHELOR OF COMMERCE (2021-2022)	COMMERCE
9	BACHELOR OF SCIENCE (2021-2022)	BOTANY
10	BACHELOR OF SCIENCE (2021-2022)	CHEMISTRY
11	BACHELOR OF SCIENCE (2021-2022)	MATHEMATICS
12	BACHELOR OF SCIENCE (2021-2022)	PHYSICS
13	BACHELOR OF SCIENCE (2021-2022)	ZOOLOGY

विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत सत्र 2021-2022 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

1- शैक्षिक सत्र 2019-20 के परीक्षाफल के अभाव में सत्र 2021-2022 हेतु सम्बद्धता आदेश इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि संदर्भित पाठ्यक्रम/विषयों का सत्र 2019-20 का परीक्षाफल शासनादेश के अनुरूप (60 प्रतिशत उत्तीर्ण) होने की स्थिति में सत्र 2020-21 से सम्बद्धता के आदेश निर्गत किये जायेंगे।

2- संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।

महाविद्यालय कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्त पूरी कर रहा है।

यदि संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

5- संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।

6- महाविद्यालय समय-समय पर प्रवेश तथा पाठ्यक्रम संचालन एवं परीक्षा के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का सम्यक अनुपालन समग्रता मे सुनिश्चित करेगा अन्यथा सम्बद्धता वापसी की कार्यवाही विचारणीय होगी।

7- . संस्था द्वारा शासनादेश संख्या-421/सत्तर-1-2015-16(20)/2011 दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।

8- मानकानुसार शिक्षकों की निरन्तरता एवं बैंक के माध्यम से उनके वेतन भुगतान महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

9- . महाविद्यालय द्वारा इस सम्बद्धता आदेश की प्राप्ति के पश्चात् ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी। पाठ्यक्रम में प्रवेश शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत तत्सम्बन्धी दिशा निर्देशों के अधीन किया जाएगा।

कुल सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-......, उ०प्र० शासन, लखनऊ।

3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, CSM Nagar मण्डल.

4. प्रबन्धक, GAYADEI MAHILA MAHAVIDYALAYA, DURGAPUR ROAD, BAGHWARIA KATRA को इस आशय से प्रेषित है कि सम्बद्धता आदेश में वर्णित शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

5. परीक्षा नियंत्रक,GAYADEI MAHILA MAHAVIDYALAYA, DURGAPUR ROAD, BAGHWARIA KATRA, CSM Nagar

6 कुलसचिव कार्यालय।

7. सम्बन्धित पत्रावली।

कुल सचिव

डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय

दिनांक :29.–06–2017

...वि0/सम्ब0/2017/103

सम्बद्धता आदेश

...उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथासंशोधित) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) ... 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन ... में माननीय कुलपति जी के आदेश दिनॉक 29–06–2017 के अनुपालन में मयादेई महिला महाविद्यालय, दुर्गापुर, रोड ... कटरा, फूलकुँवर, अमेठी को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, प्राचीन इतिहास, ...ल, समाजशास्त्र एवं गृहविज्ञान विषयों में बी0ए0 पाठ्यक्रम, स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान ... विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विषयों में बी0एस–सी0 पाठ्यक्रम तथा स्नातक स्तर पर वाणिज्य ... के अन्तर्गत बी0काम0 पाठ्यक्रम स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र ...–18 से आगामी तीन वर्षो हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

1. संस्था/महाविद्यालय द्वारा स्नातक स्तर के याचित पाठ्यक्रमों हेतु प्राचार्य, मानकानुसार शिक्षक एवं प्रबन्ध समिति अनुमोदन प्रवेश/कक्षा संचालन के पूर्व कर लिया जायेगा अन्यथा की स्थिति में सत्र 2017–18 में प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। महाविद्यालय द्वारा उक्त आशय का शपथ पत्र एक सप्ताह के अन्दर कुलसचिव के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा।
2. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या: 2851/सत्तर 2–2003–15(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई, 2003 मे उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय मे समय–समय पर अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. संस्था/महाविद्यालय कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता की शर्ते महाविद्यालय निरन्तर पूरी कर रहा है।
4. संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की अधिनियम/परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों को पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित न किये जाने की दशा में उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
5. संस्था/महाविद्यालय को सम्बद्धता आदेश महाविद्यालय द्वारा प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर जारी किया जा रहा है। प्रमाणित प्रपत्रों/सूचनाओं के असत्य पाये जाने की दशा में महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता स्वत: समाप्त हो जायेगी।
6. महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित/कार्यरत् शिक्षकों का बायोडाटा, आधार–कार्ड, अनुबन्ध पत्र वेतन भुगतान का विवरण विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने के साथ अपनी वेबसाइट पर अपलोड़ करना अनिवार्य होगा। अनुमोदित/कार्यरत् शिक्षकों के द्वारा ही परीक्षा आदि कार्य सम्पादित कराये जायेगें।
7. मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनॉक 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनॉक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
8. संस्था/महाविद्यालय द्वारा–प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेश का पालन सुनिश्चित करेगी।
9. संस्था/महाविद्यालय द्वारा शासनादेश संख्या–421/सत्तर–1–2015–16(20)/2011, दिनॉक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रकिया सुनिश्चित की जायेगी।
10. संस्था/महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों की निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी।

(संजय कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. प्रबन्धक, मयादेई महिला महाविद्यालय, दुर्गापुर, रोड बघवरिया कटरा, फूलकुँवर, अमेठी।
4. परीक्षा नियन्त्रक, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद।
5. निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।
6. प्रोग्रामर, ई0डी0पी0 सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं कालेज लाग–इन पर अपलोड कराये जाने हेतु।

(संजय कुमार)
कुलसचिव